2020/00172

फर्द अहकाम

खड़ीनारायण बनाम भगवान सहाय

य

T 772/20

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/12/21	[illegible] 20/12/21 को [illegible]	
20/12/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने आदेशिका पर नोट प्रेस हेतु लिखा। पत्रावली वास्ते अधिनायक वादी देय दिनांक 27/12/21 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	Not Press वादी अधिवक्ता Ajay Hsc Adv 20-12-21
27/12/21	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/1/22 को पेश हो।	
3/1/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज निष्पक्ष आम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल रवाना होकर दफ्तर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] अधिकारी [illegible] (द्वितीय)	